N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

# FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट )
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0120 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/05/2025 18:07 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 308(3) |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 28/01/2025
   **Time Period (समय अवधि):** पहर 4 **Time From (समय से):** 18:15 बजे **Time To (समय तक):** 11:58 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/05/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/05/2025 18:07:26 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 120 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b) **Address(पता):** KHAJUWALA, KHAJUWALA JILA BIKANER
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   **Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): BHOOP RAM

(b) Father's Name (पिता का नाम): BHOORARAM SARSVA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1979 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | GAON 12 K Y D, KHAJUWALA, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | GAON 12 K Y D, KHAJUWALA, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILIP KUMAR DELU | | पिता:BHOOPRAM | 1. WARD NO. 05 KHAJOOWALA,KHAJOOWALA, BIKANER,RAJASTHAN,INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 10,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 27.01.2025 को समय 06.15 पी.एम. पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर ने मुझ पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने पास बैठे एक व्यक्ति से मेरा आपसी परिचय करवाते हुए व्यक्ति का विवरण ब्यूरो का परिवादी श्री भूप राम पुत्र भूराराम सरस्वा, जाति कुम्हार, उम्र 46 वर्ष निवासी गांव 12 केवाईडी, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर होना बताया। परिवादी श्री भूपराम द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किए गए हस्तलिखित प्रार्थना पत्र के संबंध में अति. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को अग्रतर कार्यवाही हेतु उचित निर्देश प्रदान किए जाकर मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रार्थना पत्र सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री भूप राम को मैं पुलिस निरीक्षक हमराह लेकर अपने कक्ष में उपस्थित हुआ। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया व पढकर परिवादी को सुनाया गया। प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित विवरण होना पाया गया- "सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर चौकी विषय  एस.डी.पी.जी. कॉलेज, खाजूवाला के डायरेक्टर श्री दलीप कुमार डेलू द्वारा मेरी पुत्री सुश्री रेणु बाला की हाजिरी पूरी करने व इंटरनल परीक्षा करवाने आदि कार्यों की ऐवज में 10,000 रुपये रिश्वत मांगने पर कार्यवाही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, श्रीमान् जी सविनय निवेदन है कि मैं गांव 12 केवाईडी, तहसील खाजूवाला, बीकानेर का रहने वाला हूं और खेती बाड़ी व मजदूरी करता हूं। मेरी बेटी सुश्री रेणु बाला उम्र 22 वर्ष वर्तमान में एस.डी.पी.जी. कॉलेज, खाजूवाला में बी.ए.बी.एड चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत है। मेरी बेटी की कॉलेज की वार्षिक फीस 27000 रुपये एकमुश्त है जो कि मैंने जमा करवा दी है। मेरी बेटी ने वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाईन फॉर्म भरकर दिनांक 24.01.2025 को अपने कॉलेज में जाकर जमा करवा दिया है। मेरी बेटी द्वारा यह फार्म भरवाते समय एक विषय का नाम गलत भरा गया है। मेरी बेटी सुश्री रेणु बाला ने दिनांक 24.01.2025 को अपने कॉलेज के डायरेक्टर श्री दलीप कुमार डेलू से अपने फॉर्म में भरे गलत विषय को ठीक करवाने, अपनी चतुर्थ वर्ष की इंटरनल परीक्षाएं करवाने तथा बी.ए.बी.एड. के लैसन की डायरी कॉलेज से प्राप्त करने के बारे में बात की तो श्री दलीप कुमार डेलू ने मेरी बेटी की इस साल की हाजिरी पूरी न होने की बात बताई और हाजिरी पूरी होने पर ही इंटरनल परीक्षाएं करवाने और बाकी कॉलेज का काम करके देने की बात कही। श्री दलीप कुमार डेलू ने मेरी बेटी की कॉलेज की हाजिरी पूरी करने के लिए 10,000 रुपये रिश्वत मांग की। श्री दलीप कुमार डेलू ने बताया कि हाजिरी पूरी करने पर रिश्वत नहीं देने पर वह न तो मेरी बेटी की परीक्षाएं करवाएगा, न ही ऑनलाईन गलत भरे गए विषय को ठीक करेगा तथा न ही बी.ए.बी.एड. लैसन की डायरी देगा। मेरी बेटी ने श्री दलीप कुमार डेलू को किसी प्रकार की रिश्वत नहीं देने तथा श्री दलीप कुमार डेलू के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाने की बात मुझसे कही हैं। इसलिए मैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से श्री दलीप कुमार डेलू के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं। दिनांक 27.01.2025 प्रार्थी एस.डी. भूपराम भूपराम पुत्र भूराराम निवासी 12 केवाईडी, खाजूवाला, बीकानेर मोबाइल नंबर [redacted] परिवादी ने उपर्युक्त हस्तलिखित प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों पर सहमति प्रकट की तथा पूछने पर हस्तलिखित प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्तलेख में होना व स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी श्री भूपराम ने बताया कि मैं कक्षा 10 तक पढा हुआ हूं तथा खेती बाड़ी व मजदूरी का काम करता हूं। परिवादी श्री भूपराम से उसके आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति एक पृष्ठ प्राप्त की जाकर शामिल कार्यवाही दस्तावेज की गई। परिवादी श्री भूपराम ने बताया कि "मेरी पुत्री सुश्री रेणु बाला की बी.ए.-बी.एड. चतुर्थ वर्ष की ऑनलाईन परीक्षा फार्म भरने की फीस भी मेरी बेटी की ओर से 1650/- रुपये ऑनलाईन ईमित्र से जमा करवाई जा चुकी है। कॉलेज से बी.एड. की लैसन डायरी विद्यार्थियों को जारी करने, विद्यार्थियों की इंटरनल परीक्षाएं करवाने तथा विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन फार्म के दौरान गलत भरे गए विषयों में परिवर्तन करवाए जाने का पृथक् से कोई निर्धारित वैध शुल्क नहीं होता है। श्री दलीप कुमार डेलू मेरी पुत्री सुश्री रेणु बाला की हाजिरी कम होने का डर दिखाकर हमसे रिश्वत लेना चाहता है तथा रिश्वत मिलने पर वह हमारे सारे काम कर देगा।" परिवादी श्री भूपराम से पुत्री सुश्री रेणु बाला के महाविद्यालय में लंबित कार्यों से संबंधित दस्तावेज चाहे जाने पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिन्हें अवलोकन किया जाकर शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया- 1. सुश्री रेणु बाला का ऑनलाईन ईमित्र से भरा गया बी.ए.-बी.एड. परीक्षा 2025 का फार्म दिनांक 21.01.2025 की प्रमाणित प्रति 2. इंटर्नशिप कार्यक्रम 2024-25 संबंधी विद्यालय आवंटन पत्र की प्रमाणित प्रति 3. वर्ष 2024-25, बी.ए.-बी.एड. चतुर्थ वर्ष की जमा करवाई गई रसीद राशि 27000/- की प्रमाणित प्रति परिवादी श्री

भूपराम ने बताया कि मैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कार्यवाही करवाने संबंधी मेरी पुत्री की ओर से उचित अधिकार पत्र शीघ्र ही प्रस्तुत कर दूंगा। परिवादी ने बताया कि "मेरी श्री दलीप कुमार डेलू से कोई पूर्व शत्रुता नहीं है, न ही हमारे मध्य कोई उधारी संबंधी लेनदेन चल रहा है।" परिवादी ने बताया कि "रिश्वत संबंधी वार्ता श्री दलीप कुमार डेलू स्वयं कर लेता है परंतु उसकी ओर से रिश्वत लेने का कार्य श्री दलीप कुमार डेलू के कहे अनुसार उसके कॉलेज में ऑफिस का काम करने वाली एक महिला कर्मचारी श्रीमती बबीता व अन्य कर्मचारी भी करते हैं।" परिवादी श्री भूप राम के प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तावेज व पूछताछ से आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू-डायरेक्टर, एस.डी.पी.जी. कॉलेज, खाजूवाला द्वारा सुश्री रेणु बाला की हाजिरी पूरी की जाकर बी.एड. की लैसन डायरी जारी करने, इंटरनल परीक्षाएं करवाने तथा ऑनलाईन फार्म के दौरान गलत भरे गए विषयों में परिवर्तन करवाए जाने संबंधी काम की ऐवज में 10,000 रुपये रिश्वत मांगना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की परिधि में आना प्रथम दृष्टया पाया जाने पर अग्रतर कार्यवाही किया जाना नियत हुआ। समय 06.40 पीएम परिवादी श्री भूपराम को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही की आवश्यकता एवं प्रक्रिया समझाई गई। परिवादी ने दिनांक 28.01.2025 को एस.डी.पी.जी. कॉलेज, खाजूवाला के डायरेक्टर श्री दलीप कुमार डेलू से उनके कॉलेज में मिलकर उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने तथा डायरेक्टर श्री दलीप कुमार डेलू द्वारा विद्यार्थियों के परिजनों से भी रिश्वत संबंधी वार्ता कर लेने की बात मुझ पुलिस निरीक्षक को दर्ज करवाई। समय 06.50 पीएम पर श्री मनोहरलाल कानि. 115 को मुझ पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री भूप राम से आपसी परिचय करवाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया, परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता के दौरान की संभावनाओं की जानकारी प्रदान की गई। परिवादी को बताया गया कि रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही ब्यूरो कर्मी श्री मनोहरलाल कानि. की सहायता से करवाई जानी है। तत्पश्चात् श्री मनोहरलाल कानि. को मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर/डीवीआर मय सील्ड मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश पर मनोहरलाल कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया सील्ड मेमोरी कार्ड मालखाना से प्राप्त कर प्रस्तुत किया। परिवादी श्री भूप राम व श्री मनोहरलाल कानि. को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से समझाया गया। समय 07.00 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से कार्यवाही के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। परिवादी ने बताया कि मैं कल दिनांक 28.01.2025 को एस.डी.पी.जी. कॉलेज, खाजूवाला के पास श्री मनोहरलाल कानि. को मिल जाउंगा तथा प्रक्रियानुसार श्री दलीप कुमार डेलू द्वारा हमसे की जारी 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा दूंगा। परिवादी ने अपने गांव जाना अति आवश्यक होना बताया जिस पर समय 07.05 पीएम पर परिवादी श्री भूप राम को ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। श्री मनोहरलाल कानि. को दिनांक 28.01.2025 की कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान कर मुक्त किया गया। समय 07.20 पी.एम. पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मनोहरलाल कानि. को अपने कक्ष में बुलाया जाकर परिवादी के मोबाइल नंबर प्रदान किए जाकर कार्यवाही संबंधी उचित निर्देश प्रदान किए जाकर कक्ष से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। डीवीआर व नया सील्ड मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक ने अपने पास आलमारी में सुरक्षित रखा। दिनांक 28.01.2025 को चौकी उपस्थित श्री मनोहरलाल कानि. को मुझ पुलिस निरीक्षक ने अपने पास आलमारी में सुरक्षित रखे हुए डीवीआर मय नया सील्ड मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया गया। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मनोहरलाल कानि. को खाजूवाला पहुंच परिवादी श्री भूप राम से संपर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाने हेतु ब्यूरो चौकी बीकानेर से समय 07.00 ए.एम. पर खाजूवाला के लिए रवाना किया गया। समय 11.37 ए.एम. पर श्री मनोहरलाल कानि. से जरिये मोबाइल कॉल मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा वार्ता की गई। श्री मनोहरलाल कानि. ने परिवादी श्री भूप राम के खाजूवाला में गोपनीय स्थान पर मिल जाने की बात बताई। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मनोहरलाल कानि. को गोपनीयता रखते हुए डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में नया सील्ड मेमेरी कार्ड स्थापित करने तथा डीवीआर मय स्थापित नया मेमोरी कार्ड चालू कर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु परिवादी श्री भूप राम को प्रदान कर एस.डी.पी.जी कॉलेज, खाजूवाला के लिए रवाना करने के निर्देश प्रदान किए गए। समय 12.45 पी.एम. पर श्री मनोहरलाल कानि. ने मोबाइल कॉल के माध्यम से मुझ पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि आपके निर्देशानुसार मैंने नया सील्ड मेमोरी कार्ड खोलकर डीवीआर में स्थापित करके कार्ड का खाली होना चैक किया था। तत्पश्चात् मैंने उक्त डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग को समय 11.58 ए.एम. पर चालू करके परिवादी श्री भूप राम को सुपुर्द करके रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु एस.डी.पी.जी. कॉलेज, खाजूवाला की तरफ रवाना किया था, मैं कॉलेज के पास ही गोपनीय स्थान पर उपस्थित रहा था, परिवादी श्री भूप राम रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही पश्चात् मेरे पास गोपनीय स्थान पर लौटकर आया जिससे मैंने डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को लेकर बंद करके अपने पास रख लिया। श्री मनोहरलाल कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक से उक्त मोबाइल वार्ता की निरंतरता में परिवादी श्री भूप राम से वार्ता करवाई। परिवादी श्री भूप राम ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री मनोहरलाल कानि. ने डीवीआर मय स्थापित नया मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग चालू करके मुझे सुपुर्द किया था जिसे लेकर मैं एस.डी.पी.जी. कॉलेज, खाजूवाला पहुंचा था। मुझे कॉलेज के डायरेक्टर श्री दलीप कुमार डेलू अपने ऑफिस में मिले थे। जिनसे मैंने मेरी पुत्री सुश्री रेणु बाला के कॉलेज के इंटरनल एक्जाम, बीएड लैसन डायरी, फॉर्म में गलत भरे गए विषय में सुधार व हाजिरी पूरी होने के बारे में बात की थी जिस पर कॉलेज के डायरेक्टर श्री दलीप कुमार डेलू ने मुझे बताया कि

"सुश्री रेणु बाला की इस वर्ष 75 प्रतिशत हाजिरी पूरी नहीं है जिससे कि उसकी इस वर्ष परीक्षा न होकर अगले साल परीक्षा होगी तथा हाजिरी पूरी नहीं होने पर विद्यार्थी को इंटरनल एक्जाम में भी नहीं बैठने दिया जाता है।" परिवादी ने बताया कि "मैंने डायरेक्टर श्री दलीप कुमार डेलू को मेरी पुत्री की हाजिरी पूरी होने की बात दोहराई तो उन्होंने अपने कॉलेज का रिकॉर्ड देखकर बताया कि "सुश्री रेणु बाला की हाजिरी पूरी नहीं है, मेरे द्वारा कॉलेज की शिकायत राज्य सरकार के हैल्पलाईन नंबर 181 पर किए जाने की बात पर भी उन्होंने मुझसे चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने इस शिकायत का जवाबी पत्र दिनांक 25.01.2025 को यूनिवर्सिटी भिजवा दिया है जिसमें भी उन्होंने मेरी पुत्री सुश्री रेणु बाला की हाजिरियां कम होना यूनिवर्सिटी को लिखना बताया है।" परिवादी ने बताया "आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू ने मेरी पुत्री सुश्री रेणु बाला की गत वर्ष की हाजिरी पूरी किए जाने की ऐवज में गत वर्ष की बकाया 4000 रुपये रिश्वत तथा इस चालू वर्ष की हाजिरी पूरी करने की ऐवज 6000 रुपये रिश्वत मुझसे मांगी है जिससे कि मेरी पुत्री सुश्री रेणु बाला का परीक्षा का यह साल खराब नहीं होगा तथा वह कॉलेज के इंटरनल एक्जाम में भी बैठ सकेगी।" परिवादी ने बताया कि "आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू ने 10000 रुपये रिश्वत मिलने तथा 181 पोर्टल पर दी गई शिकायत को वापस बंद करवाने पर यूनिवर्सिटी में भी मेरी पुत्री सुश्री रेणु बाला की हाजिरी पूरी होने का लैटर भिजवाने का आश्वासन मुझे दिया है तथा 2-3 दिन में 10,000 रुपये लेकर आने का कहा है जिससे मेरी बेटी सुश्री रेणु बाला का यह साल खराब न हो।" मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भूप राम को उक्त रिश्वत मांग संबंधी रिकॉर्ड ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने की कार्यवाही की जानकारी दी तो परिवादी श्री भूप राम ने बताया कि मैं खेती-बाड़ी के साथ-साथ लोगों के घरों में पानी के टैंकर भी सप्लाई करने का कार्य करता हूं, मैं 3-4 दिन पानी के टैंकर वाले काम में स्वयं काफी व्यस्त हूं, उक्त काम के समाप्त होते ही मैं आपसे संपर्क करके ए.सी.बी. चौकी बीकानेर पर उपस्थित हो जाउंगा, आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू को अब मुझ पर पूर्ण विश्वास है तथा वह अब मुझसे 10,000 रुपये रिश्वत प्राप्त कर लेगा। परिवादी श्री भूप राम को कार्यवाही संबंधी गोपनीयता के निर्देश प्रदान किए गए। श्री मनोहरलाल कानि. को डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सहित ब्यूरो चौकी उपस्थिति के लिए निर्देशित किया गया। समय 04.10 पी.एम. पर श्री मनोहरलाल कानि. डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सहित ब्यूरो चौकी पर मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ। श्री मनोहरलाल कानि. ने डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही संबंधी विवरण को मुझ पुलिस निरीक्षक को दोहराया। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा डीवीआर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी रिकॉर्ड ऑडियो क्लिप को चैक किया जाने पर मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग होनी पाई गई तथा उक्त रिकॉर्डिंग को सुनने पर प्रथम दृष्टया परिवादी श्री भूप राम के बताए अनुसार रिश्वत मांग संबंधी तत्व होने पाए गए। डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड की उक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग को कार्यालय कंप्यूटर पर चैक किया जाने पर निम्नलिखित विवरण होना पाया गया- S. N. FILE NAME DATE AND TIME OF CREATION dd-mm-yyyy hhmm (24 Hrs) HASH VALUE (SHA-256) 1 250128_1158 28-01-2025 1158 eec1c928eb773d3eb22d107d68fbcb9b8368504b3b9dc2c607a26f2cd87ae391 डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को कार्यालय कंप्यूटर से निकाला जाकर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा आलमारी में स्वयं के पास सुरक्षित रखा। मनोहरलाल कानि. को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा कक्ष से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। परिवादी श्री भूप राम से पुनः संपर्क किया जाकर रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने तथा आगामी कार्यवाही पर विचार विमर्श किया जाना तय किया गया। दिनांक 29.01.2025 समय 01.53 पी.एम. पर परिवादी श्री भूप राम से ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के संबंध में तथा कार्यवाही को लेकर मोबाइल कॉल द्वारा विचार विमर्श किया गया। परिवादी को कार्यवाही के क्रम में सुश्री रेणु बाला की ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत करने संबंधी तथा अन्य निर्देश प्रदान किए गए। परिवादी ने बताया कि अभी मैं पानी टैंकर सप्लाई के काम में व्यस्त हूं तथा उक्त काम से मुक्त होकर आपसे संपर्क कर लूंगा। उक्त कार्यवाही को लेकर अब तक अति. पुलिस अधीक्षक महोदय से विस्तृत विचार विमर्श होता रहा व मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। समय 07.03 पी.एम. पर परिवादी श्री भूप राम द्वारा मोबाइल कॉल के माध्यम से अवगत करवाया गया कि "मुझे 4-5 दिन मेरे काम का दबाव है इसलिए मैं सोमवार दिनांक 03.02.2025 को आपके कार्यालय में ट्रांसक्रिप्ट आदि कार्यवाही के लिए उपस्थित हो जाउंगा।" परिवादी से कार्यवाही को लेकर विचार विमर्श किया गया। परिवादी द्वारा अपने काम-धंधे के दबाव को लेकर व्यस्तता होना बताया। दिनांक 02.02.2025 तक परिवादी श्री भूप राम से हैल्पलाईन पोर्टल 181 के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने हेतु, सुश्री रेणु बाला की ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत करने तथा कार्यवाही को लेकर जरिये मोबाइल कॉल निरंतर संपर्क रखा गया। परिवादी द्वारा अवगत करवाया गया कि आज दिनांक 02.02.2025 को समय 12.00 पी.एम. तक ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही तथा अधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु मैं अपनी पुत्री सहित ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हो जाउंगा। अतः समय 11.30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाह तलबी कार्यवाही हेतु श्रीमान् अधीक्षक, पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर को इस कार्यालय से पत्र क्रमांक 583 दिनांक 02.02.2025 जारी किया जाकर श्री मनोहरलाल कानि. को पत्र सहित रवाना किया गया। समय 01.40 पी.एम. पर परिवादी श्री भूपराम अपनी पुत्री सुश्री रेणु बाला के साथ ब्यूरो चौकी पर मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ। सुश्री रेणु बाला ने बताया कि मेरा दस्तावेजों के अनुसार वास्तविक

नाम रेनु बाला है तथा मेरा नाम कभी रेणु बाला भी लिखा जाता है। सुश्री रेनु बाला उर्फ रेणु बाला ने एस.डी.पी.जी. कॉलेज, खाजूवाला के डायरेक्टर श्री दलीप कुमार डेलू के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर से कार्यवाही करवाने हेतु अपने पिता श्री भूप राम को अधिकृत करते हुए अपनी ओर से हस्तलिखित एक अधिकार पत्र मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किया। जिसे अवलोकन किया जाकर शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया। समय 02.00 पी.एम. पर सुश्री रेनु बाला उर्फ रेणु बाला को श्री भूप राम की सहमति से ब्यूरो चौकी से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। समय 02.05 पी.एम. पर श्री मनोहरलाल कानि. मय दो राजकीय कर्मचारीगण को लेकर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुआ जिन्होंने पूछने पर विवरण निम्न होना बताया - 1. श्री सुभाष चंद्र पूनियां पुत्र रणजीत सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी पूनियां का बास, नबीपुरा, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर हाल पदस्थापन नर्सिंग ऑफिसर, पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर [redacted] 2. श्री मुकेश कुमार पुत्र बिशनाराम उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट राजपुरा, तहसील तारानगर, जिला चूरु हाल पदस्थापन नर्सिंग ऑफिसर, पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर [redacted] श्री मनोहरलाल कानि. ने कार्यालय जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक, पी.बी.एम. एवं संबद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर का उपर्युक्त स्वतंत्र गवाह हेतु जारीशुदा कार्यालय आदेश क्रमांक जि./मु./न.अधी/पी.बी.एम./2025/339 दिनांक 02.02.2025 की प्रति मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत की जिसे अवलोकन कर शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया। समय 02.10 पी.एम. पर दोनों उपस्थित स्वतंत्र साक्षिगण श्री सुभाष चद्र पूनियां-नर्सिंग ऑफिसर तथा श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्रदान की गई तथा ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने आदि आगामी समस्त भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के रुप में सम्मिलित होने हेतु अवगत करवाया गया तथा कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के रुप में रहने की सहमति प्राप्त की गई। दोनों स्वतंत्र साक्षिगण तथा उपस्थित परिवादी श्री भूप राम का आपसी परिचय करवाया गया तथा श्री भूप राम द्वारा ब्यूरो चौकी पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों की जानकारी दोनों स्वतंत्र साक्षिगण को प्रदान की जाकर अब तक मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदान की गई। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा मालखाना से पीतल की सील सं. 78 कार्यवाही हेतु प्राप्त की गई। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं की आलमारी में सुरक्षित रखे हुए कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को निकालकर कार्यालय कंप्यूटर में कनैक्ट किया गया। समय 02.20 पी.एम. पर परिवादी व आरोपी के मध्य रिकॉर्ड दिनांक 28.01.2025 की ऑडियो की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी प्रारंभ की गई। समय 09.20 पी.एम. तक मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी रिकार्ड वार्ता दिनांक 28.01.2025 की ऑडियो रिकॉर्डिंग को स्वतंत्र गवाहों को सुनवाई जाकर, परिवादी श्री भूप राम से आवाज पहचान करवाई जाकर, श्री मनोहरलाल कानि. की सहायता से सुन-सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। ट्रांसक्रिप्ट के दौरान वार्ताओं का हिंदी रुपांतरण मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया। वार्ता में व्यक्तियों की आवाज की पहचान कर मुख्य आवाजों में परिवादी श्री भूप राम ने एक आवाज अपनी, एक आवाज आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू-डायरेक्टर, एस.डी. पी.जी. कॉलेज, खाजूवाला, जिला बीकानेर व एक आवाज मनोहरलाल कानिस्टेबल की होना बताया। रिकॉर्ड उक्त वार्ता की फाईल को दो पैन ड्राइव में कॉपी कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा साक्ष्य स्वरुप दो पैन ड्राईव तैयार किये गये। एक पैन ड्राईव को एक प्लास्टिक सेफ्टी कवर में डालकर एक कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर मार्क-A 1 अंकित किया गया। दूसरे पैन ड्राईव को एक कपड़े के टैग के साथ सील किया जाकर अन्वेषण प्रायोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को लैपटॉप से अलग किया जाकर स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक सेफ्टी कवर मे डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील किया जाकर मार्क-A अंकित किया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को अग्रतर कार्यवाही हेतु स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। पीतल सील सं. 78 को सुरक्षित अपने पास रखा गया। उपर्युक्त साक्ष्य प्रादर्श संख्या कुल 3 मालखाना प्रभारी श्री राजेंद्र हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाए गए। समय 09.30 पी.एम. पर परिवादी श्री भूप राम ने मुझ पुलिस निरीक्षक स्वयं की ओर से राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर आरोपी के कॉलेज के विरुद्ध दी गई शिकायत संख्या 012512821878367 दिनांक 23.01.2025 का 3 पृष्ठीय विवरण प्रस्तुत किया जिसमें परिवादी द्वारा अपनी पुत्री के कॉलेज द्वारा रिश्वत मांगे जाने का विवरण दर्ज होना पाया गया। उक्त 3 पृष्ठीय शिकायत को शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के आधार पर आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू-डायरेक्टर, एस.डी.पी.जी. कॉलेज, खाजूवाला, जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री भूप राम की पुत्री सुश्री रेनु बाला उर्फ रेणु बाला की हाजिरी पूरी करने तथा परीक्षा करवाने की ऐवज में परिवादी श्री भूप राम से 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग किया जाना पाया गया। परिवादी श्री भूप राम से ट्रैप कार्यवाही आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। सत्यापन वार्ता में प्राप्त तथ्यों तथा परिवादी से पूछताछ के अनुसार आरोपी ने परिवादी से 181 नंबर हैल्पलाईन पर आरोपी के कॉलेज के विरुद्ध की हुई शिकायत बंद करवाकर लाने की भी बात परिवादी को कही गई थी। परिवादी ने बताया कि "कल दिनांक 03.02.2025 को मेरे रिश्तेदारी मे सगाई कार्यक्रम में मेरा शामिल होना अनिवार्य है। अतः मैं कल दिनांक 03.02.2025 को उक्त कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आगामी ट्रैप कार्यवाही आयोजन के बारे में अवगत करवा दूंगा।" अब तक के संपूर्ण हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। समय 09.45 पी. एम. पर परिवादी श्री भूप राम तथा साक्षिगण श्री सुभाषचंद्र पूनियां व श्री मुकेश कुमार को गोपनीयता संबंधी निर्देश प्रदान

किए गए। परिवादी व साक्षिगण को आगामी कार्यवाही के संबंध में जरिये मोबाइल कॉल सूचना मिलने पर अविलंब ब्यूरो चौकी उपस्थिति के निर्देश दिए जाकर ब्यूरो चौकी से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 04.02.2025 तक परिवादी श्री भूप राम से कार्यवाही को लेकर निरंतर मोबाइल कॉल के माध्यम से विस्तृत विचार विमर्श होता रहा। अति. पुलिस अधीक्षक महोदय व उच्चाधिकारीगण से कार्यवाही को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया जाकर मार्गदर्शन लिया गया । मार्गदर्शन उपरांत समय 10.16 पी.एम. पर परिवादी श्री भूप राम को रिश्वत राशि 10,000 रुपये सहित दिनांक 05.02.2025 को समय 08.30 ए.एम. पर ब्यूरो चौकी पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। साक्षिगण श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र- नर्सिंग ऑफिसर को दिनांक 05.02.2025 को समय 08.30 ए.एम. पर ब्यूरो चौकी पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। समस्त अन्य ए.सी.बी. स्टाफ को सूचित किया गया। दिनांक 05.02.2025 समय 08.30 ए.एम. पर परिवादी श्री भूप राम व साक्षिगण श्री मुकेश कुमार- नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र-नर्सिंग ऑफिसर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए जिनको ब्यूरो चौकी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। परिवादी ने बताया कि "मैं 181 संपर्क पोर्टल पर की गई हुई शिकायत को बंद करवाकर ही आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू के कॉलेज में रिश्वत लेनदेन कार्यवाही के लिए जाउंगा क्यूंकि अब 181 पोर्टल संबंधी शिकायत वाला मेरा काम हो चुका है, शिकायत नहीं बंद करवाने पर वह रिश्वत प्राप्त करने से मना कर सकता है।" परिवादी के बताए अनुसार परिवादी को शिकायत बंद करवाने हेतु कहा गया। समय 09.00 ए.एम. पर परिवादी श्री भूप राम ने संपर्क पोर्टल की शिकायत संख्या 012512821878367 बंद करवाकर साक्षिगण के समक्ष मुझ पुलिस निरीक्षक को 3 पृष्ठ दो प्रतियों में प्रस्तुत की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत 3 पृष्ठीय एक प्रति को अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया तथा दूसरी प्रति 3 पृष्ठीय दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 2 के एक कॉर्नर पर साक्षी श्री सुभाषचंद्र से अंग्रेजी भाषा मैं नीले बॉल पैन से BSM लिखवाया गया। समय 09.10 एएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री भूप राम ने स्वतंत्र साक्षिगण के समक्ष 500-500 रुपये के 20 नोट कुल 10,000 राशि की भारतीय मुद्रा निम्नलिखित विवरण के प्रस्तुत किए गए - क्र. सं. नोट का विवरण नम्बर नोट 1. एक 500 सौ रूपये का नोट 2NA 826603 2. एक 500 सौ रूपये का नोट 3PQ 425537 3. एक 500 सौ रूपये का नोट 5GW 536974 4. एक 500 सौ रूपये का नोट 0PF 348321 5. एक 500 सौ रूपये का नोट 3AG 914703 6. एक 500 सौ रूपये का नोट 1RU 885315 7. एक 500 सौ रूपये का नोट 6MD 673800 8. एक 500 सौ रूपये का नोट 9VP 046267 9. एक 500 सौ रूपये का नोट 1LQ 089701 10. एक 500 सौ रूपये का नोट 3AC 476508 11. एक 500 सौ रूपये का नोट 4QQ 203887 12. एक 500 सौ रूपये का नोट 9ET 177184 13. एक 500 सौ रूपये का नोट 8HC 471344 14. एक 500 सौ रूपये का नोट 2DL 175573 15. एक 500 सौ रूपये का नोट 9TT 384346 16. एक 500 सौ रूपये का नोट 5LL 367082 17. एक 500 सौ रूपये का नोट 0MK 902996 18. एक 500 सौ रूपये का नोट 8GM 163950 19. एक 500 सौ रूपये का नोट 2NA 826609 20. एक 500 सौ रूपये का नोट 2NA 843217 श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक नंबर 115 से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर उक्त सभी नोट एक अखबार के कागज पर रखवाकर उक्त मुख्य आरक्षक से सभी नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री भूपराम की जामा तलाशी गवाह श्री सुभाषचन्द्र पूनियाँ से लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल व पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया व उक्त पाउडर युक्त नोट 10,000/- रूपये परिवादी के पहने कुर्ते की ऊपरी बांयी जेब में श्री राजवीर सिंह से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपित से मिलने पर रिश्वती लेनदेन के दौरान एवं रिश्वती लेन-देन हो जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर उसे देवे, लेन-देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि देने के बाद किसी बहाने से बाहर आकर ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर लगी टोपी को उतारकर हाथ में लेकर ईशारा करे तथा यदि बाहर आकर ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करके ईशारा करे। तत्पश्चात एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के गिलास में श्री राजवीर सिंह के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउडर की आपसी रसायनिक प्रतिक्रिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलवाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को जलवाकर नष्ट किया गया। श्री राजवीर सिंह के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री राजवीर सिंह को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत कर कार्यालय में छोड़ा गया। परिवादी द्वारा सम्पर्क पोर्टल शिकायत बंद करवाकर पेश किया गया 3 पृष्ठीय दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 2 के एक कॉर्नर पर साक्षी श्री सुभाषचन्द्र की ओर से BSM लिखवाया हुआ परिवादी के कुर्ते की साईड की दाहिनी जेब में परिवादी से रखवाया गया। उक्त दस्तावेज आवश्यकतानुसार आरोपी को रिश्वत लेन-देन के समय दिया जाना तय किया गया। समय 09.40 ए.एम. निर्देशानुसार भ्र.नि.ब्यूरो चौकी एसयू, बीकानेर से श्रीमती विमला-महिला कानि. 229, मुकेश-सहा.प्रा.अ.,

ब्यूरो चौकी पर ट्रैप कार्यवाही सहायतार्थ उपस्थित हुए जिन्हें ट्रैप कार्यवाही संबंधी जानकारी प्रदान की जाकर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किए गए। कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील सं. 78 को ट्रैप बॉक्स में रखवाया गया। समस्त ट्रैप दल सदस्यों कों परिवादी तथा आरोपीगण के बारे में अवगत करवाया जाकर रिश्वत लेनदेन संबंधी ईशारे की जानकारी प्रदान की गई। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा अपनी कार्यालय आलमारी से कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकाला जाकर मालखाना से एक नया सील्ड मेमोरी कार्ड लेकर रिश्वत लेनदेन संबंधी कार्यवाही के लिए स्वयं के पास रखा गया। खाजूवाला पहुंच उक्त डीवीआर में नया सील्ड मेमोरी कार्ड स्थापित किया जाकर परिवादी को रिश्वत लेनदेन संबंधी कार्यवाही के लिए रवाना किया जाना तय किया गया। समय 09.50 ए.एम. पर मैं पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा मय स्वतंत्र साक्षिगण श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र-नर्सिंग ऑफिसर, परिवादी श्री भूप राम तथा ब्यूरो स्टाफ-श्री जय कुमार-पुलिस निरीक्षक, राजेंद्र हैड कानि. 127, मनोहरलाल कानि. 115, अनिल कुमार कानि. 186, भगवानदास कानि. 134, हरीराम कानि. 210, श्रीमती विमला-महिला कानि. 229, मुकेश-सहा.प्रा.अ., निजी कारों से डीवीआर, 5 नए सील्ड मेमोरी कार्ड, 5 नए सील्ड पैन ड्राइव, लैपटॉप, प्रिंटर, कैमरा, संपूर्ण ट्रैप बॉक्स सामग्री सहित ब्यूरो चौकी बीकानेर से एस.डी.पी.जी. कॉलेज, खाजूवाला, जिला बीकानेर को रवाना हुए। ब्यूरो चौकी से रवानाशुदा परिवादी श्री भूपराम, स्वतंत्र साक्षिगण श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र-नर्सिंग ऑफिसर, समस्त ब्यूरो स्टाफ सहित कस्बा खाजूवाला के पास समय 11.50 ए.एम. पर गोपनीय स्थान पर पहुंचा। परिवादी श्री भूपराम से अब तक निजी वाहन में यात्रा के दौरान निरंतर होते रहे विचार विमर्श अनुसार परिवादी ने अपनी पुत्री सुश्री रेणु बाला उर्फ रेनु बाला को भी कार्यवाही में सहायतार्थ अपने साथ एस.डी.पी.जी. कॉलेज, खाजूवाला के अंदर रिश्वत लेनदेन के दौरान साथ ले जाना आवश्यक होना मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया। परिवादी ने बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में भी आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू ने सुश्री रेणु बाला उर्फ रेनु बाला को कॉलेज साथ लेकर आने तथा फॉर्म में भरे गए सब्जेक्ट को ठीक करवाने हेतु एप्लिकेशन लेने की बात भी कही थी। परिवादी ने बताया "आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू काफी सतर्क रहने वाला व्यक्ति है तथा प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखता है। अतः रिश्वत लेनदेन के पश्चात् ईशारा करने में भी सुश्री रेणु बाला उर्फ रेनु बाला की सहायता की आवश्यकता हो सकती है।" उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत परिवादी श्री भूप राम को उसकी पुत्री सुश्री रेणु बाला उर्फ रेनु बाला को रिश्वत लेनदेन कार्यवाही के दौरान अपने साथ मोटरसाइकिल से कॉलेज ले जाने की अनुमति प्रदान की गई। परिवादी श्री भूप राम ने गोपनीय स्थान पर ए.सी.बी. टीम से मिलने हेतु अपनी पुत्री सुश्री रेणु बाला उर्फ रेनु बाला को पाबंद किया गया। समय 11.53 ए.एम. पर परिवादी श्री भूप राम की पुत्री सुश्री रेणु बाला उर्फ रेनु बाला मोटरसाइकिल से अपने परिजन के साथ गोपनीय स्थान पर मुझ पुलिस निरीक्षक को उपस्थित मिली। श्रीमती विमला, महिला कानि., स्वतंत्र साक्षिगण तथा परिवादी श्री भूप राम की उपस्थिति में सुश्री रेणु बाला को समझाया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वत लेनदेन के दौरान अपने पिता श्री भूप राम का फोन कक्ष से बाहर रखवा लेने पर पिता के निर्देशानुसार मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर पर कॉल/मिस कॉल करके ईशारा करें। सुश्री रेणु बाला उर्फ रेनु बाला को ट्रैप दल के सदस्यों की जानकारी प्रदान की गई। गोपनीय स्थान पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखा डीवीआर व एक नया सील्ड मेमोरी कार्ड श्री मनोहरलाल कानि. को सुपुर्द किया गया। मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री मनोहरलाल कानि. द्वारा डीवीआर में नया सील्ड मेमोरी कार्ड स्थापित कर चालू किया जाकर परिवादी श्री भूप राम को सुपुर्द किया गया। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भूप राम व उसकी पुत्री सुश्री रेणु बाला उर्फ रेनु बाला को उपलब्ध मोटरसाइकिल से रिश्वत लेनदेन कार्यवाही के लिए समय 12.01 पी.एम. पर आरोपी के एस.डी.पी.जी. कॉलेज, खाजूवाला के लिए रवाना किया गया। मैं पुलिस निरीक्षक स्वतंत्र साक्षिगण तथा ब्यूरो दल सहित निजी कारों से परिवादी श्री भूप राम के मोटरसाइकिल के पीछे-पीछे रवाना हुआ। मैं पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र साक्षिगण व ब्यूरो दल आरोपी के कॉलेज के आस पास तैनात रहा। इस दौरान परिवादी श्री भूप राम अपनी पुत्री सहित कॉलेज में प्रवेश करता हुआ तथा कुछ मिनट बाद मोटरसाइकिल से अपनी पुत्री सहित कॉलेज से निकलकर जाता हुआ दिखाई दिया। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा समय 12.13 पी.एम. पर परिवादी से जरिये मोबाइल कॉल वार्ता की गई। परिवादी ने बताया कि मैं कॉलेज के अंदर गया तो वहां पर मिले कॉलेज स्टाफ ने आरोपी के कॉलेज से चले जाने तथा आरोपी की पुत्री की शादी कार्यक्रम में व्यस्त होने की बात बताई थी, कॉलेज स्टाफ ने बताया कि आप कॉलेज में कॉल करके ही आया करो। समय 12.21 पी.एम. पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से पुनः जरिये मोबाइल कॉल वार्ता की गई परिवादी ने बताया कि मैंने डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड श्री मनोहरलाल कानि. को गोपनीय स्थान पर मिलकर बंद करवाकर सुपुर्द कर दी है। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भूप राम को गोपनीय स्थान पर पहुंचकर आगामी कार्यवाही हेतु पुनः वार्ता करने के निर्देश दिए तथा मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा समस्त ट्रैप दल को अलग-अलग स्थानों पर गोपनीयता रखते हुए तैनात रहने के निर्देश प्रदान किए। श्री मनोहरलाल कानि. से डीवीआर प्राप्त कर लेने के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। समय 12.30 पी.एम. पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भूप राम से पुनः मोबाइल कॉल वार्ता की गई। परिवादी ने बताया कि "मैंने कुछ देर पहले स्वयं की ओर से आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू के मोबाइल नंबर [redacted] पर अपने मोबाइल नंबर [redacted] से कॉल लगाकर वार्ता की तथा आज उनसे मिलने का पूछा तो आरोपी ने बताया कि मैं परसों मिल जाउंगा।" परिवादी ने आगामी

दिनों में आरोपी की पुत्री के विवाह का कार्यक्रम होने के कारण अभी व्यस्त चलने तथा अब आरोपी के मिलने की संभावना नहीं होना, दिनांक 07.02.2025 को ही पुनः आरोपी से मिलकर रिश्वत लेनदेन संबंधी कार्यवाही किया जाना उचित होने की बात बताई। अब तक के विस्तृत हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए तथा मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र साक्षिगण मय समस्त ब्यूरो दल गोपनीय स्थान पर पहुंच परिवादी को गोपनीय स्थान पर बुलाया गया। समय 01.05 पी.एम. पर गोपनीय स्थान पर परिवादी श्री भूप राम उपस्थित हुआ। स्वतंत्र साक्षिगण के समक्ष परिवादी के पहने कुर्ते की उपरी बायीं जेब से रिश्वत राशि 10,000 रुपये साक्षी श्री सुभाषचंद्र से निकलवाए जाकर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा एक सफेद कागज में रखवाकर अच्छी तरह लपेटकर आगामी कार्यवाही हेतु स्वयं के पास सुरक्षित रखे गए। परिवादी द्वारा बंद करवाया हुआ 3 पृष्ठीय संपर्क पोर्टल संबंधी परिवाद को परिवादी के कुर्ते की साईड की दाहिनी जेब से निकलवाकर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया । समय 01.10 पी.एम. पर परिवादी को गोपनीयता संबंधी निर्देश प्रदान किए जाकर गोपनीय स्थान से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। मैं पुलिस निरीक्षक स्वतंत्र साक्षिगण व समस्त ट्रैप दल सहित गोपनीय स्थान से ब्यूरो चौकी बीकानेर के लिए रवाना हुआ। समय 02.45 पी.एम. पर मैं पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा मय स्वतंत्र साक्षिगण श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र-नर्सिंग ऑफिसर तथा ब्यूरो स्टाफ-श्री जय कुमार-पुलिस निरीक्षक, राजेंद्र हैड कानि. 127, मनोहरलाल कानि. 115, अनिल कुमार कानि. 186, भगवानदास कानि. 134, हरीराम कानि. 210, श्रीमती विमला-महिला कानि. 229., मुकेश-सहा.प्रा.अ., निजी कारों से संपूर्ण ट्रैप बॉक्स सामग्री आदि सहित ब्यूरो चौकी बीकानेर पहुंचा। श्रीमती विमला-महिला कानि. 229., मुकेश-सहा.प्रा.अ. को ब्यूरो चौकी एसयू, बीकानेर के लिए रवाना किया गया। स्वतंत्र साक्षिगण के समक्ष डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड श्री मनोहरलाल कानि. से प्राप्त किया जाकर लैपटॉप में लगाकर चैक किया गया। परिवादी के बताए तथ्यों के अनुसार दिनांक 05.02.2025 की वार्ता रिकॉर्ड होनी पाई गई। रिकॉर्ड वार्ता की ऑडियो फाईल का विवरण निम्न प्रकार से है- S. N. FILE NAME DATE AND TIME OF CREATION dd-mm-yyyy hhmm (24 Hrs) HASH VALUE (SHA-256) 1 250205_1159 05-02-2025 1159 b5d68cc44c527d515117794f971688402d95347939243dcac3b2b57352fb4e00 लैपटॉप से अलग किया जाकर उक्त डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड, सफेद कागज में लपेटी हुई रिश्वत राशि 10,000 रुपये, परिवादी की जेब से निकलवाया हुआ संपर्क पोर्टल परिवाद 3 पृष्ठ मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा आगामी कार्यवाही के लिए स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। अब तक की कार्यवाही के समस्त हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। समय 02.55 पी.एम. पर स्वतंत्र साक्षिगण श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र-नर्सिंग ऑफिसर को ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 06.02.2025 समय 08.33 पी.एम. तक निरंतर जरिये मोबाइल कॉल परिवादी श्री भूप राम से दिनांक 07.02.2025 को पुनः आरोपी से रिश्वत लेन-देन कार्यवाही के लिए विचार विमर्श होता रहा। परिवादी ने दिनांक 07.02.2025 को कार्यवाही हेतु खाजूवाला में अपनी पुत्री सुश्री रेणु बाला उर्फ रेनु बाला सहित मिल जाने की बात मुझ पुलिस निरीक्षक को बताई। परिवादी श्री भूप राम ने बताया कि "गोपनीय मालूमात से आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू की स्वयं की एकमात्र पुत्री का विवाह कार्यक्रम दिनांक 21.02.2025 को निर्धारित है तथा आरोपी अब कुछ व्यस्त हो चुका है इसलिए वह अपने कॉलेज में कम समय दे पाता है तथा अन्य दिनों की अपेक्षा कॉलेज से जल्दी निकल जाता है। इसलिए सुबह 10.30-11.00 बजे तक ही आरोपी से मिलना उचित होगा।" तत्पश्चात् मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र साक्षिगण व समस्त ब्यूरो स्टाफ को दिनांक 07.02.2025 की कार्यवाही के लिए पाबंद किया गया। दिनांक 07.02.2025 समय 08.15 ए.एम. पर साक्षिगण श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र-नर्सिंग ऑफिसर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए जिनको ब्यूरो चौकी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। समय 08.20 ए.एम. पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री इमरान खान-कनिष्ठ सहायक को अपने कक्ष में बुलाया गया। साक्षिगण श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र-नर्सिंग ऑफिसर की उपस्थिति में मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखे हुए कार्यवाही में प्रयुक्त डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड, सफेद कागज में लपेटी हुई रिश्वत राशि 10,000 रुपये, आरोपी को दिया जाने वाला संपर्क पोर्टल परिवाद 3 पृष्ठ निकाला गया। सफेद कागज में लपेटी हुई रिश्वत राशि 10,000 रुपये को श्री इमरान खान-कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द किया गया तथा राशि संबंधी निर्देश प्रदान किए गए। कार्यवाही में प्रयुक्त डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड व संपर्क पोर्टल परिवाद मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास रखा गया। समय 08.30 ए.एम. पर निर्देशानुसार भ्र.नि.ब्यूरो चौकी एसयू, बीकानेर से श्रीमती विमला-महिला कानि. 229, कन्हैयालाल कानि. 312, ब्यूरो चौकी पर ट्रैप कार्यवाही सहायतार्थ उपस्थित हुए जिन्हें ट्रैप कार्यवाही संबंधी जानकारी प्रदान की जाकर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किए गए। समय 08.45 ए.एम. पर मैं पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा मय स्वतंत्र साक्षिगण श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र-नर्सिंग ऑफिसर, तथा ब्यूरो स्टाफ-श्री जय कुमार-पुलिस निरीक्षक, राजेंद्र हैड कानि. 127, मनोहरलाल कानि. 115, अनिल कुमार कानि. 186, भगवानदास कानि. 134, हरीराम कानि. 210, श्रीमती विमला-महिला कानि. 229, कन्हैयालाल कानि. 312, इमरान-कनिष्ठ सहायक मय रिश्वत राशि प्राइवेट साधन तथा राजकीय वाहन से कार्यवाही में प्रयुक्त डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड व परिवादी

द्वारा आरोपी को दिया जाने वाला BSM अंकित संपर्क पोर्टल परिवाद, 5 नए सील्ड मेमोरी कार्ड, 5 नए सील्ड पैन ड्राइव, लैपटॉप, प्रिंटर, कैमरा, संपूर्ण ट्रैप बॉक्स सामग्री सहित ब्यूरो चौकी बीकानेर से खाजूवाला, जिला बीकानेर को रवाना हुए। ब्यूरो चौकी से रवानाशुदा मैं पुलिस निरीक्षक समस्त रवानाशुदा ब्यूरो स्टाफ, स्वतंत्र साक्षिगण सहित परिवादी श्री भूप राम से संपर्क किया जाकर समय 10.20 ए.एम. पर कस्बा खाजूवाला गोपनीय स्थान पर पहुंचा। समय 10.27 ए.एम. पर परिवादी श्री भूप राम अपनी पुत्री सुश्री रेणु बाला उर्फ रेनु बाला सहित गोपनीय स्थान पर मोटरसाइकिल सहित उपस्थित हुआ। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वत लेनदेन कार्यवाही के लिए रवाना करने से पूर्व परिवादी से विचार विमर्श किया जिस पर परिवादी ने बताया कि दिनांक 05.02.2025 को कॉलेज में हुई वार्ता तथा आरोपी से मोबाइल कॉल पर संपन्न वार्ता अनुसार कॉलेज में जाने से पूर्व आरोपी की उपस्थिति के बारे में मोबाइल कॉल से पूछकर जाना उचित होगा, बिना बात किए कॉलेज जाने पर आरोपी को संदेह हो सकता है। अतः परिवादी श्री भूप राम द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक से विचार विमर्श उपरांत रिश्वत लेनदेन कार्यवाही हेतु कॉलेज जाने से पूर्व आरोपी के मोबाइल नंबर पर वार्ता किया जाना उचित समझते हुए गोपनीय स्थान पर स्वतंत्र साक्षिगण के समक्ष आरोपी के मोबाइल नंबर [redacted] पर अपने मोबाइल नंबर [redacted] से वार्ता की। उक्त वार्ता उपरांत परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि वार्ता में मेरे द्वारा पुत्री सुश्री रेणु बाला सहित अभी कॉलेज आने का कहने पर आरोपी ने अभी कॉलेज में होने परंतु व्यस्त होने के कारण थोड़ी देर में कॉलेज से कहीं निकलने की बात बताई है तथा मुझे अभी कॉलेज आने के लिए मना किया है तथा मेरी पुत्री के बारे में भी सकारात्मक बातें कही हैं। परिवादी के बताए अनुसार आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू के अभी निकलने की संभावना के दृष्टिगत परिवादी को आरोपी के कॉलेज भेजा जाना तय किया गया। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री इमरान खान-कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाकर कार्यवाही में प्रयुक्त रिश्वत राशि 10,000 रुपये परिवादी श्री भूप राम की पहने कुर्ते की उपरी बायीं जेब में रखवाई गई तथा पूर्व की भांति रिश्वत राशि संबंधी निर्देश प्रदान किए गए। श्री इमरान खान-कनिष्ठ सहायक को तत्काल कार्यवाही से पृथक् किया जाकर ब्यूरो चौकी बीकानेर के लिए रवाना किया गया। परिवादी की ओर से आरोपी को दिया जाने वाला कार्यवाही में प्रयुक्त 181 संपर्क पोर्टल संबंधी 3 पृष्ठीय BSM अंकित परिवाद मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के पहने कुर्ते की साईड की दाहिनी जेब में परिवादी से रखवाया गया। परिवादी ने अपना मोबाइल फोन कुर्ते की साईड की बायीं जेब में रखकर बताया कि मैं यह फोन कॉलेज पहुंचकर अपनी पुत्री को सुपुर्द कर दूंगा। श्री मनोहरलाल कानि. की सहायता से कार्यवाही में प्रयुक्त डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग को चालू करवाया जाकर परिवादी को सुपुर्द करवाया जाकर परिवादी की पुत्री सुश्री रेणु बाला उर्फ रेनु बाला सहित परिवादी के मोटरसाइकिल से समय 10.38 ए.एम. पर गोपनीय स्थान से आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू के कॉलेज के लिए रवाना किया गया। मैं पुलिस निरीक्षक स्वतंत्र साक्षिगण तथा ब्यूरो दल सहित निजी व राजकीय कारों से परिवादी श्री भूप राम के मोटरसाइकिल के पीछे-पीछे रवानाशुदा आरोपी के कॉलेज के आस-पास गोपनीय स्थानों पर पृथक्-पृथक् तैनात हुआ। गोपनीय स्थान से परिवादी अपनी पुत्री सहित कॉलेज में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। समय 11.04 ए.एम. पर परिवादी के व्हाटसऐप नंबर [redacted] से मुझ पुलिस निरीक्षक के व्हाट्सऐप नंबर पर संदेश प्राप्त हुआ जिसमें आरोपी के कॉलेज में नहीं होने तथा बैठकर इंतजार करना, संदेश में बताया। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के मोबाइल नंबर पर वार्ता करने का प्रयत्न किया गया परंतु उचित प्रकार से वार्ता नहीं हो सकी। परिवादी व उसकी पुत्री सुश्री रेणु बाला उर्फ रेनु बाला मोटरसाइकिल से आरोपी के कॉलेज की ओर से वापस आता दिखाई देने पर समय 11.10 ए.एम. पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के मोबाइल नंबर पर कॉल लगाकर निर्धारित गोपनीय स्थान पर डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड श्री मनोहरलाल कानि. को सुपुर्द करने के निर्देश प्रदान किए। समय 11.16 ए.एम. पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मनोहरलाल कानि. से मोबाइल कॉल के माध्यम से वार्ता की गई तो मनोहरलाल कानि. ने बताया कि "मैंने परिवादी श्री भूप राम से चालू डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड प्राप्त करके रिकॉर्डिंग बंद कर ली है, संभवतः परिवादी श्री भूप राम की गतिविधियों को जांचने के लिए परिवादी के पीछे-पीछे कॉलेज की ओर से एक मोटरसाइकिल पर युवक आया है जिससे गोपनीयता रखने के लिए परिवादी व उसकी पुत्री सुश्री रेणु बाला उर्फ रेनु बाला को दूसरे निजी कार में बैठा लिया है।" मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के साथ उपस्थित श्री राजेंद्र हैड कानि. को गोपनीयता व सुरक्षा के कारणों से परिवादी व उसकी पुत्री सहित वाहन को रावला मंडी रोड की तरफ ले जाने के निर्देश दिए, परिवादी की मोटरसाइकिल को श्री भगवानदास कानि. को निगरानी में देने हेतु बताया गया। परिवादी श्री भूप राम व श्री मनोहरलाल कानि. से निरंतर वार्ता की गई। वार्ताओं के दौरान मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से कॉलेज के अंदर के घटनाक्रम, पीछा करने वाले कॉलेज स्टाफ के व्यक्ति की जानकारी ली गई तो परिवादी ने कॉलेज में आरोपी के नहीं मिलने की बताई, परिवादी ने कॉलेज स्टाफ के अपरिचित व्यक्ति से बात किया जाना, कॉलेज स्टाफ द्वारा आरोपी के अपनी पुत्री के विवाह कार्यक्रम में व्यस्त होना बताना परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया। परिवादी ने बताया कि कॉलेज में उपस्थित एक युवक द्वारा अपनी बहन के काम से कॉलेज में आरोपी से मिलने के लिए आना बताया था तथा तीन दिन से आरोपी से मुलाकात नहीं हो पाने की समस्या बताई थी। परिवादी ने बताया कि उक्त युवक ने मुझसे आरोपी के पर्सनल नंबर लेकर भी कॉल लगाया तो आरोपी ने उसका कॉल नहीं उठाया था, उसके बाद मैं व मेरी पुत्री कॉलेज से रवाना हो गए थे। परिवादी ने बताया हमारे पीछे आने

वाला उक्त युवक संभवतः कॉलेज में एलडीसी अथवा मैथ का टीचर था। मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री मनोहरलाल कानि. परिवादी व उसकी पुत्री को अपने साथ लेकर रावला मंडी रोड से जरिये बस खाजूवाला आया। समय 12.26 पी.एम. पर परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को मोबाइल कॉल वार्ता में बताया कि "कॉलेज में इंतजार के दौरान कॉलेज स्टाफ ने मुझे दो-ढाई घंटे बाद आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू के वापस कॉलेज आने की बात कही है तथा श्री दलीप कुमार डेलू के आ जाने पर कॉलेज की ओर से स्वयं ही मुझको कॉल करके बताने की बात कही है।" मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से कॉलेज के स्टाफ द्वारा पीछा करने तथा इंतजार करने आदि के बारे में विचार विमर्श किया गया। परिवादी ने बताया कि आरोपी सदैव ही काफी सतर्क रहता है, कॉलेज के आस-पास भी उसने कैमरे लगवा रखे हैं, कॉलेज के साथ ही आरोपी का स्वयं का ईंट भट्ठा भी है। परिवादी ने बताया कि सत्यापन कार्यवाही दिनांक 28.01.2025 को भी आरोपी के कॉलेज स्टाफ का एक व्यक्ति हमें कॉलेज के बाहर तक चैक करने आया था। परिवादी ने बताया कि अब लगभग दो घंटे तक कॉलेज की ओर से कॉल आने का इंतजार करना ही उचित रहेगा, आज के घटनाक्रम को देखते हुए तथा स्वयं की ओर से बार-बार कॉल करने पर आरोपी को पूर्ण संदेह हो सकता है। परिवादी के बताए अनुसार कॉलेज की ओर से कॉल आने की प्रतीक्षा किया जाना तय किया गया। अब तक के घटनाक्रम की संपूर्ण जानकारी दी जाकर स्वतंत्र साक्षिगण व समस्त ब्यूरो दल को सतर्क रहने व गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश प्रदान किए गए। परिवादी को उसकी पुत्री सहित व श्री मनोहरलाल कानि. को गोपनीय स्थान पर तैनात रहने के निर्देश प्रदान किए गए तथा कॉलेज/आरोपी की ओर से कॉल आने पर अविलंब मुझ पुलिस निरीक्षक को सूचित करने के निर्देश प्रदान किए गए। श्री भगवानदास कानि. को निर्देश दिए जाकर मोटरसाइकिल परिवादी को सुपुर्द करवाया गया। अब तक संपूर्ण हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। परिवादी के बताए अनुसार कॉलेज अथवा आरोपी की ओर से कॉल आने की प्रतीक्षा होती रही। तत्पश्चात् परिवादी से मोबाइल कॉल के माध्यम से संपर्क किया जाकर गोपनीय स्थान पर बुलाए जाने पर समय 02.25 पी.एम. पर परिवादी श्री भूप राम अपनी पुत्री सुश्री रेणु बाला उर्फ रेनु बाला सहित मोटरसाइकिल से गोपनीय स्थान पर स्वतंत्र साक्षिगण के समक्ष मुझ पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित हुआ। परिवादी ने मोबाइल कॉल वार्ताओं के दौरान बताए गए तथ्यों को मुझ पुलिस निरीक्षक को दोहराया तथा बताया कि "अब तक कॉलेज अथवा आरोपी की ओर से कोई कॉल नहीं आया है और न ही उनकी ओर से कॉल आने की अब संभावना है। परिवादी ने बताया कि आज आरोपी के कॉलेज के स्टाफ सदस्य ने संभवतः हमें ए.सी.बी. दल के वाहन के पास देख लिया था तथा हमारे ए.सी.बी. गाड़ी में बैठे होने के दौरान भी कुछ दूर तक पीछा किया था। इसलिए आरोपी के आज मिलने अथवा संपर्क करने की संभावना नहीं है तथा न ही अपनी ओर से मोबाइल कॉल किया जाकर संपर्क करना आज उचित है। परिवादी ने बताया कि कॉलेज में मिले एक महिला विद्यार्थी के परिजन भी 3 दिन से अपने काम के लिए कॉलेज आ रहे हैं जिन्हें भी आरोपी नहीं मिल रहा है, आरोपी की इकलौती पुत्री का विवाह भी दिनांक 21.02.2025 को निर्धारित है। इस कारण आरोपी अपनी पुत्री के विवाह कार्यक्रम तथा विवाह निमंत्रण कार्ड वितरण में अब व्यस्त हो चुका है। अतः दिनांक 21.02.2025 को अपनी पुत्री के विवाह कार्यक्रम के पश्चात् ही आरोपी से रिश्वत लेनदेन हेतु संपर्क किया जाना उचित होगा।" परिवादी ने दोहराया कि मेरे द्वारा आज आरोपी को कॉल लगाकर की गई वार्ता में भी आरोपी ने मुझको मिलने की आवश्यकता होने से मना किया था तथा मेरी पुत्री की परीक्षा करवा देने तथा पुत्री को पढाने के लिए स्कूल जाने देने की बात कही थी। परिवादी ने बताया कि आरोपी ने मुझे कॉल के दौरान कहा था कि आपको कॉलेज आने की जरुरत नहीं है। परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपी काफी चतुर व्यक्ति है वह फोन कॉल पर इसी तरह घुमा फिराकर बात करता है। इसलिए ऐसी संभावना है कि वह अपनी पुत्री के विवाह कार्यक्रम के बाद पुनः मुझे रिश्वत लेने के लिए संपर्क करे अथवा परेशान करें। परिवादी के उपर्युक्त बताए तथ्यों तथा अब तक के घटनाक्रम के आधार पर रिश्वत लेन-देन कार्यवाही को दिनांक 21.02.2025 के पश्चात् किया जाना तय किया गया। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को बताया गया कि आरोपी द्वारा दिनांक 21.02.2025 से पूर्व भी रिश्वत लेन-देन हेतु अचानक संपर्क स्थापित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में अविलंब मुझ पुलिस निरीक्षक को सूचना प्रदान करें। परिवादी को डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई दिनांक 05.02.2025 व आज दिनांक 07.02.2025 की वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के बारे में कहा जाने पर परिवादी ने बताया कि मेरा पानी टैंकर सप्लाई का काम तथा घरेलू आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं इसलिए मैं कुछ दिन बाद ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी बीकानेर पर उपस्थित हो जाउंगा। समय 02.45 पी.एम. पर साक्षी श्री सुभाषचंद्र से परिवादी की जेब से 10,000 रुपये रिश्वत राशि निकलवाकर सफेद कागज में लपेटकर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखे गए। साक्षी श्री सुभाषचंद्र के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाए गए। परिवादी के कुर्ते की जेब में रखी हुई 3 पृष्ठीय संपर्क पोर्टल संबंधी परिवाद को परिवादी से निकलवाया जाकर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। समय 02.50 पी.एम. पर परिवादी श्री भूप राम व उसकी पुत्री सुश्री रेणु बाला उर्फ रेनु बाला को प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा पृथक्-पृथक् तैनात समस्त ब्यूरो दल को सूचित किया जाकर प्रस्थान के निर्देश दिए तथा स्वतंत्र साक्षिगण, ट्रैप बॉक्स व समस्त सामग्री सहित ब्यूरो चौकी बीकानेर के लिए राजकीय व निजी वाहनों से प्रस्थान किया। अब तक संपूर्ण हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। मैं पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा मय स्वतंत्र साक्षिगण श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र-

नर्सिंग ऑफिसर तथा ब्यूरो स्टाफ-श्री जय कुमार-पुलिस निरीक्षक, राजेंद्र हैड कानि. 127, मनोहरलाल कानि. 115, अनिल कुमार कानि. 186, भगवानदास कानि. 134, हरीराम कानि. 210, श्रीमती विमला-महिला कानि. 229, कन्हैयालाल कानि. 312., निजी व राजकीय वाहन से संपूर्ण ट्रैप बॉक्स सामग्री आदि सहित समय 04.50 पी.एम. पर ब्यूरो चौकी बीकानेर पहुंचा। श्रीमती विमला-महिला कानि. व कन्हैयालाल कानि. को ब्यूरो चौकी एसयू, बीकानेर के लिए रवाना किया गया। स्वतंत्र साक्षिगण के समक्ष डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड श्री मनोहरलाल कानि. से प्राप्त किया जाकर लैपटॉप में लगाकर सरसरी चैक किया गया। परिवादी के बताए तथ्यों के अनुसार दिनांक 07.02.2025 की वार्ता रिकॉर्ड होनी पाई गई । रिकॉर्ड वार्ता की ऑडियो फाईल का विवरण निम्न प्रकार से है- S. N. FILE NAME DATE AND TIME OF CREATION dd-mm-yyyy hhmm (24 Hrs) HASH VALUE (SHA-256) 1 250207_1037 07-02-2025 1037 0c2c90688e07c6efa6cc1cbef61edd2b9d20aa0ba0882f7c4e7f5c9116cf1cdb लैपटॉप से अलग किया जाकर उक्त डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड, सफेद कागज में लपेटी हुई रिश्वत राशि 10,000 रुपये, परिवादी से लिया हुआ संपर्क पोर्टल परिवाद 3 पृष्ठ, कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील सं. 78 को ट्रैप बॉक्स से निकालकर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा आगामी कार्यवाही के लिए स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। समय 05.15 पी.एम. पर स्वतंत्र साक्षिगण श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र-नर्सिंग ऑफिसर को ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 21.02.2025 तक परिवादी श्री भूप राम से मोबाइल कॉल के माध्यम से संपर्क रखा गया। समय 10.57 ए.एम. पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू की पुत्री के विवाह कार्यक्रम पश्चात् कार्यवाही व दिनांक 07.02.2025 को रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने को लेकर परिवादी श्री भूप राम से विचार विमर्श किया गया। परिवादी ने बताया कि "आरोपी की पुत्री के विवाह कार्यक्रम पश्चात् भी कुछ दिन तक आरोपी की रिश्तेदारों आदि में व्यस्तता रहेगी, दिनांक 25.02.2025 को मेरी किसी अन्य मामले में बीकानेर कोर्ट में तारीख है, दिनांक 26.02.2025 को शिवरात्रि पर्व का अवकाश है, इसलिए दिनांक 27.02.2025 अथवा उसके पश्चात् ही आगामी कार्यवाही किया जाना उचित होगा।" अतः परिवादी के बताए अनुसार दिनांक 27.02.2025 अथवा उसके पश्चात् आगामी कार्यवाही किया जाना तय हुआ। हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। दिनांक 25.02.2025 समय 12.25 पी.एम. पर परिवादी श्री भूप राम ब्यूरो चौकी पर मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ तथा बताया कि दिनांक 26.02.2025 को शिवरात्रि पर्व का अवकाश है, उसके बाद मुझे मेरा घरेलू आवश्यक कार्य है। सोमवार दिनांक 03.03.2025 तक आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू की ओर से संपर्क किए जाने की प्रतीक्षा किया जाना उचित होगा, स्वयं की ओर से संपर्क किया जाना अब तक वार्ताओं के अनुसार उचित नहीं है। मुझ पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को दिनांक 05.02.2025 व 07.02.2025 की वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने हेतु परिवादी को निर्देश दिए गए तो परिवादी ने बताया कि "मैं आज पी.बी.एम. अस्पताल तथा कोर्ट के काम से बीकानेर आया हूं तथा आज समय नहीं दे सकता हूं, आईंदा समय निकालकर उक्त वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही के लिए उपस्थित हो जाउंगा।" उपर्युक्त विचार विमर्श उपरांत समय 12.40 पी.एम. पर परिवादी श्री भूप राम को उचित निर्देश प्रदान किए जाकर ब्यूरो चौकी बीकानेर से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 27.02.2025 तक आगामी कार्यवाही के संबंध में परिवादी से अब तक विचार विमर्श किए जाने पर परिवादी श्री भूप राम ने बताया कि "मेरी पुत्री सुश्री रेणु बाला की कॉलेज संबंधी आगामी कार्यवाही के संबंध में मेरी पुत्री ही उचित ढंग से बता सकती है, मेरी पुत्री से विचार विमर्श उपरांत ही आगामी कार्यवाही की रुपरेखा तय हो सकती है। परिवादी ने बताया कि मेरी पुत्री आज रीट संबंधी परीक्षा हेतु बीकानेर आई हुई है जो कि रीट परीक्षा के उपरांत ब्यूरो कार्यालय में मिल सकती है।" इस पर समय 06.30 पी.एम. पर सुश्री रेणु बाला अपने परिचित के साथ ब्यूरो कार्यालय में मुझ पुलिस निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित हुई जिसे कॉलेज की फीस, इंटर्नशिप तथा आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू द्वारा रिश्वत प्राप्त करने संबंधी संभावना पर विचार विमर्श किया गया। सुश्री रेणु बाला ने बताया कि मेरी इंटर्नशिप कुल 96 दिन की है जिसके लगभग 45 दिन अभी शेष हैं, उसके बाद ही मेरा कॉलेज में जाने का काम होगा। आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू इस बीच कभी भी मुझको इंटरनल परीक्षा करवाने के लिए भी बुला सकता है और रिश्वत प्राप्त कर सकता है। सुश्री रेणु बाला को इस संबंध में सतर्कता रखने के उचित निर्देश प्रदान किए गए तथा अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करवाया गया। समय 06.45 पी.एम. पर सुश्री रेणु बाला को उपर्युक्त विचार विमर्श उपरांत अपने उपस्थित परिचित के साथ ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 02.03.2025 तक परिवादी श्री भूप राम से मोबाइल कॉल के माध्यम से अग्रतर कार्यवाही को लेकर निरंतर वार्ता होती रही। समय 09.41 पी.एम. पर परिवादी से मोबाइल कॉल के माध्यम से हुई वार्ता में मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यवाही में लंबा समय होने को लेकर विचार विमर्श किया गया। परिवादी श्री भूप राम ने बताया कि अब तक आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू की ओर से रिश्वत प्राप्त करने संबंधी कोई संपर्क नहीं किया गया है। परिवादी श्री भूप राम ने मोबाइल कॉल पर अपनी पुत्री सुश्री रेणु बाला से वार्ता करवाई जिसमें परिवादी की पुत्री ने बताया मैं ईंटर्नशिप लैसन डायरी लेने के लिए कल दिनांक 03.03.2025 को अपने कॉलेज में जाकर श्री दलीप कुमार डेलू से मिलूंगी तथा अपनी इंटरनल परीक्षा व हाजिरी आदि के लिए भी बात करुंगी, यदि इस दौरान आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू द्वारा मुझे किसी प्रकार से रिश्वत हेतु कहा जाता है तो मैं उनसे एक-दो दिन का समय ले लूंगी। परिवादी श्री भूप राम व सुश्री रेणु बाला से हुए उक्त विचार विमर्श

उपरांत दिनांक 03.03.2025 को सुश्री रेणु बाला का कॉलेज जाना तय किया गया। अब तक के हालात की संपूर्ण जानकारी अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रदान की गई। दिनांक 03.03.2025 समय 01.31 पी.एम. पर परिवादी श्री भूप राम व उसकी पुत्री सुश्री रेणु बाला से मोबाइल कॉल के माध्यम से वार्ता हुई। सुश्री रेणु बाला ने बताया कि "मैं कुछ देर पूर्व मेरे कॉलेज में मेरी लैसन डायरी लेने, इंटरनल एक्जाम का पूछने तथा हाजिरियों की जानकारी लेने रिसेप्शन पर गई थी। उस समय श्री दलीप कुमार डेलू भी अपने कार्यालय कक्ष में बैठे थे। मेरे मांगने पर रिसेप्शन स्टाफ ने मुझे 5 लैसन डायरियां दे दी थी जिसके लिए निर्धारित शुल्क 500 रुपये मांगे थे जो कि मेरे पास न होने के कारण उन्होंने मुझे यह शुल्क बाद में जमा करवा देने का कहा था। मैंने मेरे इंटरनल एक्जाम के बारे में रिसेप्शन स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी इंटरनल एक्जाम की तारीख नहीं आई है, तारीख आने पर मोबाइल कॉल के माध्यम से अवगत करवा देंगे।" सुश्री रेणु बाला ने बताया कि इसके बाद मैं अपनी डायरियां लेकर कॉलेज से रवाना हो गई थी। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा सुश्री रेणु बाला से आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू से वार्ता होने के संबंध में जानकारी ली गई तो सुश्री रेणु बाला ने बताया कि "मैंने मेरी ओर से श्री दलीप कुमार डेलू से वार्ता का प्रयास नहीं किया था, हाजिरियां पूरी करने या अन्य किसी रिश्वत संबंधी संभावना होने पर कॉलेज का स्टाफ स्वयं ही श्री दलीप कुमार डेलू से मिलने के लिए कह देता है परंतु रिसेप्शन स्टाफ ने मुझे श्री दलीप कुमार डेलू से मिलने के लिए नहीं कहा था। सुश्री रेणु बाला ने बताया कि श्री दलीप कुमार डेलू ने संभवतः मुझे अपने कार्यालय कक्ष के अंदर से देख लिया था तथा अपने रिसेप्शन स्टाफ को भी मोबाइल कॉल करके सतर्क कर दिया था क्यूंकि कॉलेज का रिसेप्शन स्टाफ भी मुझसे बातचीत में सतर्क लग रहा था, आज कॉलेज के अनुभव के आधार पर भविष्य में आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू अथवा अन्य किसी के द्वारा मुझसे या पिताजी से रिश्वत की मांग किए जाने की संभावना प्रतीत नहीं हो रही है, मेरी इंटर्नशिप हो जाने तक मेरा कॉलेज जाने का भी अब कोई काम नहीं है।" श्री भूप राम ने मुझ पुलिस निरीक्षक को वार्ता के क्रम में बताया कि समस्त एसीबी कार्यवाही के दौरान के घटनाक्रम व आज मेरी पुत्री सुश्री रेणु बाला के कॉलेज जाने के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू अथवा कॉलेज का अन्य कोई स्टाफ अब मुझसे अथवा मेरी पुत्री से रिश्वत संबंधी कोई वार्ता नहीं करेगा। परिवादी श्री भूप राम ने बताया कि "अग्रतर रिश्वत लेनदेन संबंधी कार्यवाही होने की अब संभावना नहीं है तथा श्री दलीप कुमार डेलू के विरुद्ध जारी ट्रैप संबंधी कार्यवाही को यहीं विराम दिया जाना उचित होगा।" मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु परिवादी श्री भूप राम को ए.सी.बी चौकी पर आने को कहा गया तो परिवादी ने बताया मैं अपनी पुत्री सुश्री रेणु बाला सहित दिनांक 04.03.2025 को ए.सी. बी. चौकी बीकानेर पर उपस्थित हो जाउंगा। इस पर कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षिगण श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र-नर्सिंग ऑफिसर को दिनांक 04.03.2025 को ए.सी.बी. चौकी बीकानेर पर उपस्थिति होने हेतु निर्देशित किया गया। अब तक के हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। दिनांक 04.03.2025 समय 09.45 ए.एम. पर परिवादी श्री भूप राम व उसकी पुत्री श्री रेणु बाला भ्र.नि. ब्यूरो चौकी बीकानेर पर मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुए। परिवादी व उसकी पुत्री को ब्यूरो चौकी पर उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किए गए। समय 10.00 ए.एम. पर कार्यवाही के साक्षिगण श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र-नर्सिंग ऑफिसर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए। समय 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री भूप राम द्वारा अपनी पुत्री सुश्री रेणु बाला तथा कार्यवाही के साक्षिगण श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र-नर्सिंग ऑफिसर के समक्ष मुझ पुलिस निरीक्षक को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि "अब तक की गई कार्यवाही के घटनाक्रम व दिनांक 03.03.2025 को मेरी पुत्री सुश्री रेणु बाला के कॉलेज जाने के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू अथवा कॉलेज का अन्य कोई स्टाफ अब मुझसे अथवा मेरी पुत्री से रिश्वत संबंधी कोई वार्ता नहीं करेगा। आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू व उसका कॉलेज का स्टाफ अब मुझसे व मेरी पुत्री से वार्ता करने तथा रुपये मांगने पर ऐहतियात बरत रहा है। इसलिए भविष्य में रिश्वत लेनदेन संबंधी कार्यवाही की कोई संभावना नहीं है। अतः निवेदन है कि श्री दलीप कुमार डेलू के विरुद्ध अब तक हो चुकी कार्यवाही के आधार पर कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करें तथा मेरे द्वारा कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गई रिश्वत राशि 10,000 रुपये को मुझे लौटाने का कष्ट करें।" समय 10.50 ए.एम. पर परिवादी श्री भूप राम व उसकी पुत्री सहित उक्त प्रार्थना पत्र लेकर मैं पुलिस निरीक्षक अति. पुलिस अधीक्षक महोदय के कक्ष में उपस्थित हुआ तथा प्रार्थना पत्र अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रस्तुत किया गया। अति. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाकर शेष कार्यवाही की जाकर परिवादी को रिश्वत राशि लौटाने के निर्देश प्रदान किए गए। परिवादी व उसकी पुत्री सहित मैं पुलिस निरीक्षक अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन स्वतंत्र साक्षिगण को करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर परिवादी, स्वतंत्र साक्षिगण व सुश्री रेणु बाला के हस्ताक्षर करवाए गए। परिवादी श्री भूप राम, सुश्री रेणु बाला, कार्यवाही के साक्षिगण श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र-नर्सिंग ऑफिसर के समक्ष मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं की आलमारी में सुरक्षित रखे हुए कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को निकालकर कार्यालय कंप्यूटर में कनैक्ट किया गया। समय 11.00 ए.एम. पर रिश्वत लेनदेन कार्यवाही हेतु दिनांक 05.02.2025 व 07.02.2025 को परिवादी व आरापी के मध्य संपन्न वार्ता संबंधी रिकॉर्ड ऑडियो फाईल क्रमशः 250205_1159 व 250207_1037 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी प्रारंभ की गई। समय 01.55 पी.एम. तक रिश्वत

लेनदेन कार्यवाही प्रयास दिनांक 05.02.2025 व 07.02.2025 को रिकॉर्ड उक्त ऑडियो फाईल की फर्द ट्रांसक्रिप्ट को स्वतंत्र गवाहों को सुनवाई जाकर, परिवादी श्री भूप राम व सुश्री रेणु बाला से आवाज पहचान करवाई जाकर, श्री मनोहरलाल कानि. की सहायता से सुन-सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। ट्रांसक्रिप्ट के दौरान वार्ताओं का हिंदी रुपांतरण मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया। परिवादी श्री भूप राम व उसकी पुत्री सुश्री रेणु बाला ने दिनांक 05.02.2025 की वार्ता में व्यक्तियों की आवाज की पहचान कर मुख्य आवाजों में एक आवाज मनोहरलाल कानि., एक आवाज परिवादी भूप राम तथा एक आवाज कॉलेज की महिला कर्मचारी की होना बताया, इसी प्रकार दिनांक 07.02.2025 की वार्ता में एक आवाज श्री मनोहरलाल कानि., एक आवाज परिवादी भूप राम, एक आवाज कॉलेज कर्मचारी बलकार, एक आवाज सुश्री रेणु बाला तथा एक आवाज एक अज्ञात अन्य व्यक्ति की होना पहचान किया। रिकॉर्ड उक्त दोनों वार्ताओं की फाईल को दो पैन ड्राइव में कॉपी कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा साक्ष्य स्वरुप दो पैन ड्राईव तैयार किये गये। एक पैन ड्राईव को एक प्लास्टिक सेफ्टी कवर में डालकर एक कपड़े की थैली में रखकर कार्यवाही में प्रयुक्त सील से सील मोहर कर मार्क-B 1 अंकित किया गया। दूसरे पैन ड्राइव को एक कपड़े के टैग के साथ सील किया जाकर अन्वेषण प्रायोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को लैपटॉप से अलग किया जाकर स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक सेफ्टी कवर मे डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील किया जाकर मार्क-B अंकित किया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को अन्य कार्यवाही के राजकार्य हेतु स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। उपर्युक्त साक्ष्य प्रादर्श संख्या कुल 3 कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री जगदीश सउनि को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाए गए। समय 02.05 पी.एम. पर अब तक की कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील नबर 78 की फर्द नमूना सील तैयार की गई। समय 02.15 पी.एम. पर अब तक की कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील नबर 78 को तोड़कर अनुपयोगी कर नष्ट किया गया। फर्द नष्टीकरण पीतल की सील पृथक् से तैयार की गई। समय 02.20 पी.एम. पर परिवादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर मुझ पुलिस निरीक्षक के द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखे हुए 10000 रुपये रिश्वत राशि को आलमारी से निकालकर उपस्थित गवाहों के समक्ष नोटों का मिलान करवाया जाकर झाड़ पोंछ कर परिवादी को सुपुर्द किया गया। परिवादी से राशि सुपुर्दगी की पृथक् से रसीद प्राप्त की गई। परिवादी की ओर से आरोपी को रिश्वत लेनदेन के समय दिया जाने वाला कार्यवाही में प्रयुक्त 181 संपर्क पोर्टल संबंधी 3 पृष्ठीय BSM अंकित परिवाद को आलमारी से निकालकर शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया। उपर्युक्त संपूर्ण कार्यवाही पश्चात् समय 02.25 पी.एम. पर परिवादी श्री भूप राम, सुश्री रेणु बाला तथा उपस्थित गवाहों श्री मुकेश कुमार-नर्सिंग ऑफिसर व श्री सुभाषचंद्र-नर्सिंग ऑफिसर को कार्यवाही से मुक्त किया जाकर ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। इस प्रकार अब तक की संपूर्ण कार्यवाही के दौरान पाया गया कि परिवादी श्री भूप राम पुत्र भूराराम सरस्वा, जाति कुम्हार, उम्र 46 वर्ष निवासी गांव 12 केवाईडी, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर ने दिनांक 27.01.2025 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी बीकानेर पर एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें एस.डी.पी.जी. कॉलेज, खाजूवाला, जिला बीकानेर के डायरेक्टर श्री दलीप कुमार डेलू द्वारा अपने कॉलेज के बी.ए.बी.एड. चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत परिवादी की पुत्री सुश्री रेणु बाला, उम्र 22 वर्ष की कॉलेज की हाजिरी पूरी करने के लिए 10,000 रुपये रिश्वत की मांग करने तथा हाजिरी पूरी नहीं होने पर इंटरनल परीक्षा नहीं करवाने, ऑनलाईन गलत भरे गए विषय को ठीक नहीं करने तथा लैसन डायरी नहीं देने के तथ्य अंकित करते हुए श्री दलीप कुमार डेलू-डायरेक्टर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु निवेदन किया था। श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अग्रतर कार्यवाही करते हुए दिनांक 28.01.2025 को आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू द्वारा की जा रही 10,000 रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता आरोपी के कॉलेज एस.डी.पी.जी. कॉलेज खाजूवाला, जिला बीकानेर में परिवादी श्री भूप राम व आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू के मध्य संपन्न हुई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू-डायरेक्टर, एस.डी.पी.जी. कॉलेज, खाजूवाला, जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री भूप राम की पुत्री सुश्री रेनु बाला उर्फ रेणु बाला की हाजिरी पूरी करने तथा परीक्षा करवाने की ऐवज में परिवादी श्री भूप राम से 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग किया जाना पाया गया। इस पर आरोपी श्री दलीप.कुमार डेलू के विरुद्ध 10,000 रुपये में ट्रैप कार्यवाही किया जाना तय किया गया। दिनांक 05.02.2025 को आयोजित ट्रैप कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि लेनदेन हेतु परिवादी द्वारा अपनी पुत्री सहित आरोपी के कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज स्टाफ द्वारा आरोपी के कॉलेज से चले जाने व आरोपी के अपनी पुत्री के विवाह में व्यस्त होने की बात बताई। परिवादी द्वारा आरोपी को कॉल किया जाकर मिलने का पूछा गया तो आरोपी ने दिनांक 07.02.2025 को मिल जाने की बात बताई। आरोपी के विरुद्ध दिनांक 07.02.2025 को पुनः आयोजित ट्रैप कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि लेनदेन हेतु परिवादी को उसकी पुत्री सहित आरोपी के कॉलेज भेजा गया। आरोपी अपने कॉलेज में उपस्थित नहीं मिला। परिवादी द्वारा आरोपी के कॉलेज में एक कर्मचारी से बात की तो उसके द्वारा दो-ढाई घंटे के बाद आरोपी के अपने कॉलेज में आ जाना तथा परिवादी को कॉल कर देने के बात कही। परिवादी व परिवादी की पुत्री की उक्त वार्ता पश्चात् कॉलेज से बाहर जाने पर कॉलेज के एक कर्मचारी युवक द्वारा परिवादी व उसकी पुत्री को चैक करने के लिए पीछा किया गया। जिसके बारे में परिवादी ने बताया कि आरोपी सदैव सतर्क रहता है, कॉलेज के आस-पास कैमरे लगवाकर रखता है, रिश्वत मांग सत्यापन के समय भी आरोपी के कॉलेज का स्टाफ कॉलेज के बाहर तक चैक करने आया था। तत्पश्चात् परिवादी

के बताए अनुसार आरोपी की पुत्री के निर्धारित विवाह कार्यक्रम दिनांक 21.02.2025 के पश्चात् पुनः ट्रैप कार्यवाही हेतु परिवादी से संपर्क किए जाने पर परिवादी व उसकी पुत्री ने बताया कि आरोपी की ओर से कोई संपर्क नहीं किया गया। परिवादी की पुत्री मुझ पुलिस निरीक्षक से विचार विमर्श उपरांत आरोपी से संपर्क के उद्देश्य से ईंटर्नशिप लैसन डायरी लेने के लिए दिनांक 03.03.2025 को अपने कॉलेज पहुंची जिस पर कॉलेज स्टाफ द्वारा लैसन डायरियां परिवादी की पुत्री को उपलब्ध करवाई गई व इंटरनल एक्जाम हेतु अवगत करवा देने का कहा गया परंतु श्री दिलीप कुमार डेलू से नहीं मिलवाया गया। परिवादी की पुत्री की आरोपी से मुलाकात नहीं हुई जिसके बारे में परिवादी की पुत्री ने बताया कि रिश्वत लेनदेन की संभावना होने पर ही कॉलेज का स्टाफ श्री दिलीप कुमार डेलू से स्वयं मिलने के लिए कह देता है। परिवादी की पुत्री सुश्री रेणु बाला ने बताया कि कॉलेज का स्टाफ सतर्क था। परिवादी श्री भूप राम ने अपनी पुत्री सुश्री रेणु बाला सहित ब्यूरो चौकी उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर आरोपी के विरुद्ध भविष्य में रिश्वत लेनदेन संबंधी कार्यवाही नहीं होने की संभावना जताई गई। परिवादी द्वारा अब तक की कार्यवाही के आधार पर आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु कहा गया। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गई रिश्वत राशि 10,000 रुपये को लौटाने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी को प्रक्रियानुसार रिश्वत राशि 10,000 रुपये लौटाए गए। इस प्रकार आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू-डायरेक्टर, एस.डी.पी.जी. कॉलेज खाजूवाला, जिला बीकानेर का परिवादी श्री भूप राम की पुत्री सुश्री रेनु बाला उर्फ रेणु बाला की हाजिरी पूरी करने तथा परीक्षा करवाने की ऐवज में परिवादी श्री भूप राम से 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग किया जाने का कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) एवं धारा 308(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उक्त आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू पुत्र भूपराम जाति बिश्नोई, उम्र 51 वर्ष निवासी- वार्ड नं. 5, खाजूवाला, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर वर्तमान पद- सचिव/डायरेक्टर, एस.डी.पी.जी. कॉलेज खाजूवाला, जिला बीकानेर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नंबरी एफआईआर पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज. जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (आनन्द मिश्रा) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा,पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) एवं धारा 308(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपी श्री दलीप कुमार डेलू पुत्र भूपराम जाति बिश्नोई, उम्र 51 वर्ष निवासी- वार्ड नं. 5, खाजूवाला, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर वर्तमान पद- सचिव/डायरेक्टर, एस.डी.पी.जी. कॉलेज खाजूवाला, जिला बीकानेर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेश श्रीमाली, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 373 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 704-07 दिनांक 20-05-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** MAHESH SRIMALI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**
**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 20/05/2025 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** DR PYARE LAL SHIVRAN
**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)
**No(सं.):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1974 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)